झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संचिका सं0–6/अमीन फीस निर्धारण–16/2018

संकल्प

विषयः– भूमि का सीमांकन/मापी हेतु अमीन के पारिश्रमिक राशि–1000/– (एक हजार) रूपये निर्धारित किये जाने के संबंध में।

मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची का गै.स.प्रे.सं.–2442, दिनांक–09.10.2017 द्वारा दिनांक–05.10.2017 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षात्मक बैठक में एन0आई0सी0 द्वारा jharbhoomi portal में भूमि की सीमांकन/मापी हेतु आवेदन तथा सीमांकन हेतु अमीन फीस/शुल्क की राशि ऑन–लाईन भुगतान करने संबंधी लिये गये निर्णय को सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

2. भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के संकल्प सं0–64, दिनांक–30.01.2017 द्वारा विभिन्न बंदोबस्त कार्यालयों में भू–सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों के अंतर्गत अधिकार का अभिलेख तैयार करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं में लगे उजरत भोगी कर्मियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दर 310/– (तीन सौ दस) रूपये का भुगतान कर कार्य संपन्न कराने हेतु स्वीकृति प्राप्त है।

3. झारखण्ड राज्य के सभी जिलों के अंचलों में सरकारी अमीन, उजरत भोगी अमीन तथा बाह्य स्रोतों से रखे गये अमीनों से मापी/सीमांकन का कार्य कराया जाता है। भूमि सीमांकन/मापी हेतु अमीन फीस/पारिश्रमिक की राशि प्रति मापी दिवस के हिसाब से भुगतान की जाती है। सरकारी अमीन द्वारा भूमि की मापी किये जाने पर अमीन का औसत एक दिन के वेतन के हिसाब से मापी में लगे दिनों से मापी फीस/शुल्क की गणना की जाती है। वहीं, उजरत भोगी अमीन से मापी/सीमांकन कराये जाने की स्थिति में उजरत भोगी अमीन को दैनिक मजदूरी के आधार पर मापी/सीमांकन में लगे दिनों के हिसाब से अमीन फीस/पारिश्रमिक का भुगतान रैयतों को करना पड़ता है। राज्य के विभिन्न जिलों में अमीन फीस में एकरूपता नहीं रहने के कारण रैयतों में मापी फीस को लेकर असमंजस एवं असंतोष बना रहता है।

4. झारखण्ड राज्य के सभी जिलों के अंचलों के सभी अमीन/उजरत भोगी अमीनों तथा बाह्य स्रोतों के अमीनों द्वारा सीमांकन/मापी हेतु भुगतान की जाने वाली मापी फीस/शुल्क की असमानता को दूर कर एकसमान/समरूप अमीन फीस/शुल्क भुगतान की आवश्यकता है।

5. अमीनों की पारिश्रमिक 1500/– मो0 (एक हजार पाँच सौ) रूपये किये जाने के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव पर योजना–सह–वित्त विभाग, राँची द्वारा अमीनों की पारिश्रमिक मो0 1000/– (एक हजार) रूपये प्रतिदिन निर्धारित करने का परामर्श दिया गया है।

6. अतः मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–05.06.2018 के मद सं0–4 में लिये गये निर्णय के आलोक में पूरे झारखण्ड राज्य में भूमि की मापी हेतु एक समान अमीन फीस 1000/– (एक हजार) प्रतिदिन के हिसाब से सरकारी खजाने/अंचल नजारत में ऑन–लाईन जमा कराते हुए भूमि की मापी/सीमांकन किया जा सकेगा तथा उक्त मापी फीस की निर्धारित राशि 1000/–

कृ0पृ0उ0

(एक हजार) रूपये प्रतिदिन व प्रत्येक 2 (दो) वर्षों के अंतराल पर उसमें 10% की दर से वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान किया जाएगा ताकि बार–बार प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं पड़े।

अमीन फीस/मापी फीस का भुगतान/आवेदक/आवेदकों द्वारा ऑन–लाईन किया जायगा।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

ह0

(उदय प्रताप)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–6/ संचिका सं0–6/अमीन फीस निर्धारण–16/2018 राँची, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड/राँची/वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–6/ संचिका सं0–6/अमीन फीस निर्धारण–16/2018 2474/ राँची, दिनांक– 13-06-18

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/6/18

सरकार के संयुक्त सचिव।